भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *281
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

विचाराधीन कैदियों हेतु विधिक सहायता

***281 श्री ए. ए. रहीम :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विचाराधीन कैदियों की संख्या और उनकी प्रतिशतता का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इसी अवधि के दौरान निःशुल्क कानूनी सहायता का लाभ उठाने वाले विचाराधीन कैदियों की राज्य-वार संख्या तथा प्रतिशतता कितनी-कितनी है ;

(ग) क्या सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक श्रेणियों के विचाराधीन कैदियों के अलग-अलग आंकड़े रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार न्याय तक पहुंच में असमानताओं का आकलन करने हेतु ऐसे आंकड़ों के संग्रहण एवं प्रकाशन का विचार रखती है ; और

(ङ) विचाराधीन कैदियों को समयबद्ध विधिक प्रतिनिधित्व मिलना सुनिश्चित करने और उनकी दीर्घकालिक हिरासत को रोकने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

<u>श्री ए.ए. रहीम द्वारा पूछे गए 'विचाराधीन कैदियों हेतु विधिक सहायता' से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 281, जिसका उत्तर तारीख 13.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण</u>

(क) से (ङ) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों (31-12-2024 को यथास्थिति) के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विचाराधीन कैदियों की संख्या और प्रतिशत **उपाबंध-क** में दिया गया है । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, हिरासत में रखे गए सभी व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं । पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने वाले हिरासत में रखे गए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या **उपाबंध-ख** में दी गई है । एनसीआरबी, गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों (31.12.2024 को यथास्थिति) के अनुसार, विचाराधीन कैदियों का श्रेणी-वार विवरण (एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य) **उपाबंध-ग** में है ।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 4 के अधीन 'कारागार और कैदी' राज्य सूची का विषय है । इसलिए, कारागारों और कैदियों के प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है । केन्द्रीय सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है । जमानत सुधारों को लागू करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं । भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479 (1) में प्रावधान है कि "जहां कोई व्यक्ति, किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए इस संहिता के अधीन (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए उस विधि के अधीन मृत्युदंड या आजीवन कारावास एक दंड के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के, जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट की गई है, आधे से अधिक की अवधि के लिए निरोध भोग चुका है, वहां वह न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त, अंतर-प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के अधीन ई-कारागार पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकी आधारित अलर्ट तैयार किए जाते हैं और विचाराधीन कैदियों की समय पर रिहाई के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजे जाते हैं ।

गरीब कैदियों, जो उन पर अधिरोपित किए गए जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ हैं या वित्तीय तंगी के कारण जमानत प्राप्त करने में असमर्थ हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार "गरीब कैदियों को सहायता" नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है । स्कीम के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों और मानक प्रचालन प्रक्रिया में 1 लाख रुपये तक की जमानत सहायता, मामले की प्रक्रिया के लिए समय-सीमा निर्धारित करने और निधियों की निकासी और उपयोग के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण का प्रावधान है । राष्ट्रीय विधिक सेवा

प्राधिकरण (नालसा) ने पात्र विचाराधीन कैदियों और दोषसिद्धों की रिहाई की सिफारिश करने के लिए सभी जिलों में विचाराधीन समीक्षा समितियों (यूटीआरसी) की स्थापना के लिए पहल की है । देश भर में यूटीआरसी द्वारा त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं ।

उपाबंध-क

'विचाराधीन कैदियों हेतु विधिक सहायता' से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 281, जिसका उत्तर तारीख 13.08.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विचाराधीन कैदी और कुल जेल कैदियों में हिस्सेदारी का प्रतिशत							
क्रम सं.	राज्य/संघ रा ज्यक्षेत्र का नाम	2022		2023		2024	
		विचाराधीन कैदी	% शेयर	विचाराधीन कैदी	% शेयर	विचाराधीन कैदी	% शेयर
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	173	67.1	168	45.0	168	42.5
2.	आंध्र प्रदेश	5,123	70.6	5,568	70.6	5,705	72.6
3.	अरुणाचल प्रदेश	184	54.9	188	52.2	242	51.7
4.	असम	8,608	74.3	7,546	70.8	8,144	69.8
5.	बिहार	57,537	88.6	46,529	87.7	45,339	87.2
6.	चंडीगढ़	832	69.6	718	67.2	610	65.0
7.	छत्तीसगढ़	12,820	62.7	11,520	62.5	12,478	66.4
8.	दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव	162	92.0	134	92.4	111	97.4
9.	दिल्ली	16,759	90.6	17,834	88.8	17,178	88.0
10.	गोवा	572	84.0	476	83.8	519	84.4
11.	गुजरात	11,129	67.0	11,549	66.9	12,286	69.2
12.	हरियाणा	19,279	75.7	19,292	74.7	19,015	76.8
13.	हिमाचल प्रदेश	1,926	66.9	1,827	64.9	1,942	65.1
14.	जम्मू-कश्मीर	4,587	86.3	4,568	84.6	4,552	84.6
15.	झारखंड	14,786	75.4	13,584	72.0	11,232	69.3
16.	कर्नाटक	12,605	77.8	11,723	76.9	10,908	75.5
17.	केरल	5,610	63.2	6,064	61.1	6,148	59.6
18.	लद्दाख	26	86.7	42	91.3	41	80.4
19.	लक्षद्वीप	6	100.0	3	100.0	5	100.0
20.	मध्य प्रदेश	26,877	55.0	22,964	50.4	23,132	51.3
21.	महाराष्ट्र	32,883	80.1	32,438	79.5	31,523	80.8
22.	मणिपुर	592	69.2	416	77.8	326	72.4
23.	मेघालय	829	72.9	881	68.7	918	65.3
24.	मिजोरम	1,049	66.4	1,247	63.7	917	58.9
25.	नागालैंड	302	64.4	432	73.1	363	70.6
26.	ओडिशा	16,058	84.7	14,778	81.3	12,879	77.5
27.	पुदुचेरी	210	65.0	304	71.4	229	68.8
28.	पंजाब	24,198	78.6	24,503	77.7	23,922	78.0
29.	राजस्थान	19,233	78.0	17,263	75.9	18,176	74.8
30.	सिक्किम	268	69.3	171	53.8	151	50.0
31.	तमिलनाडु	11,564	61.5	12,351	62.6	13,274	65.1
32.	तेलंगाना	4,221	65.0	3,799	64.9	5,002	73.8
33.	त्रिपुरा	735	61.6	847	63.7	1,261	71.6
34.	उत्तर प्रदेश	94,131	77.4	73,491	74.3	59,194	68.2
35.	उत्तराखंड	4,722	68.9	4,398	63.9	3,256	58.7
36.	पश्चिमी बंगाल #	23,706	82.3	20,294	78.7	20,294	78.7
	कुल	**4,34,302**	**75.8**	**3,89,910**	**73.5**	**3,71,440**	**72.6**
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार ।							
# 2024 के लिए पश्चिमी बंगाल से आंकड़े प्राप्त न होने के कारण, 2023 के लिए प्रस्तुत आंकड़ा उपयोग किया गया है ।							

उपाबंध- ख

'विचाराधीन कैदियों हेतु विधिक सहायता' से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 281, जिसका उत्तर तारीख 13.08.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन प्रदान की गई विधिक सेवाओं के माध्यम से हिरासत में रहने वाले लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या

क्रम सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	26	64	3
2	आंध्र प्रदेश	1,989	2,220	3,289
3	अरुणाचल प्रदेश	1,582	1,440	1,330
4	असम	9,556	17,711	25,489
5	बिहार	37,872	34,778	31,677
6	चंडीगढ़	654	418	780
7	छत्तीसगढ़	11,693	14,601	21,610
8	दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव	10	22	31
9	दिल्ली	29,370	24,794	18,630
10	गोवा	281	232	314
11	गुजरात	7,882	10,184	10,862
12	हरियाणा	30,973	35,367	66,229
13	हिमाचल प्रदेश	650	725	703
14	जम्मू-कश्मीर	722	1,184	1,299
15	झारखंड	9,542	19,352	33,281
16	कर्नाटक	7,102	8,647	8,972
17	केरल	3,961	5,653	3,473
18	लद्दाख	2	0	43
19	लक्षद्वीप	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	53,796	58,171	93,264
21	महाराष्ट्र	8,573	20,687	20,535
22	मणिपुर	1,161	282	498
23	मेघालय	916	865	877
24	मिजोरम	1,147	599	676
25	नागालैंड	620	628	499
26	ओडिशा	4,165	4,473	11,536
27	पुदुचेरी	135	71	100
28	पंजाब	20,213	24,764	33,615
29	राजस्थान	3,528	11,000	13,064
30	सिक्किम	376	218	167
31	तमिलनाडु	9,501	8,989	12,088
32	तेलंगाना	5,283	4,258	5,635
33	त्रिपुरा	344	1,115	1,588
34	उत्तर प्रदेश	7,838	7,328	6,979
35	उत्तराखंड	2961	14,701	19,420
36	पश्चिमी बंगाल	15,545	18,383	24,398
	कुल	**2,89,969**	**3,53,924**	**4,72,954**

उपाबंध- ग

'विचाराधीन कैदियों हेतु विधिक सहायता' से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 281, जिसका उत्तर तारीख 13.08.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

31.12.2024 तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और प्रवर्ग-वार विचाराधीन कैदियों की संख्या						
क्रम सं.		**अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जनजाति**	**अन्य पिछड़ा वर्ग**	**अन्य**	**कुल**
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	12	7	149	168
2.	आंध्र प्रदेश	984	1,138	1,791	1,792	5,705
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	242
4.	असम	862	904	2,535	3,843	8,144
5.	बिहार	8,728	1,795	24,921	9,895	45,339
6.	चंडीगढ़	259	0	121	230	610
7.	छत्तीसगढ़	2,330	4,035	4,221	1,892	12,478
8.	दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव	20	15	27	49	111
9.	दिल्ली	-	-	-	-	17,178
10.	गोवा	48	65	64	342	519
11.	गुजरात	1,329	2,130	5,548	3,279	12,286
12.	हरियाणा	4,958	1,112	5,548	7,397	19,015
13.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	1,942
14.	जम्मू-कश्मीर	221	586	237	3,508	4,552
15.	झारखंड	1,646	3,140	3,988	2,458	11,232
16.	कर्नाटक	-	-	-	-	10,908
17.	केरल	864	206	3,672	1,406	6,148
18.	लद्दाख	0	18	1	22	41
19.	लक्षद्वीप	0	4	0	1	5
20.	मध्य प्रदेश	4,527	4,439	8,699	5,467	23,132
21.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	31,523
22.	मणिपुर	0	63	87	176	326
23.	मेघालय	55	652	32	179	918
24.	मिजोरम	52	813	7	45	917
25.	नागालैंड	26	255	49	33	363
26.	ओडिशा	3,274	2,921	3,833	2,851	12,879
27.	पुदुचेरी	43	0	184	2	229
28.	पंजाब	5,798	1,144	3,159	13,821	23,922
29.	राजस्थान	3,412	1,698	7,199	5,867	18,176
30.	सिक्किम	27	36	57	31	151
31.	तमिलनाडु	3,859	275	8,461	679	13,274
32.	तेलंगाना	1,036	591	2,550	825	5,002
33.	त्रिपुरा	183	251	141	686	1,261
34.	उत्तर प्रदेश	14,777	5,016	20,613	18,788	59,194
35.	उत्तराखंड	-	-	-	-	3,256
36.	पश्चिमी बंगाल #	2,437	840	2,442	14,575	20,294
	कुल	**61,755**	**34,154**	**1,10,194**	**1,00,288**	**3,71,440**

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार ।

$ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ब्यौरा नहीं दिया है ।

2024 के लिए पश्चिमी बंगाल से आंकड़े प्राप्त न होने के कारण, 2023 के लिए प्रस्तुत आंकड़ा उपयोग किया गया है ।
